संख्या- 43/2017/966/33-3-2017-46/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2017**

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14वाँ वित्त आयोग एवं मनरेगा अन्तर्गत कार्यों के अभिसरण (Convergence) के संबधं में।

महोदय,

कृपया ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के संबंध में शासनादेश संख्या-2618/सीएस/33-3-2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 (छायाप्रति संलग्नक-1) एवं 14वें वित्त आयोग के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी, 2016 (छायाप्रति संलग्नक-2) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को अभिसरित करते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना विकसित की जानी है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना में एकरूपता एवं अभिसरण हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न योजनाओं/अनुदान मुख्यतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14वाँ वित्त आयोग एवं मनरेगा में अनुमन्य कार्यों में अभिसरण की आवश्यकता है जिससे की संसाधनों का बेहतर प्रबन्धन किया जा सके।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के प्रस्तर 2(IX) (छायाप्रति संलग्न-3) में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14 वाँ वित्त आयोग एवं मनरेगा के अनुमन्य कार्यों के विषय में उल्लेखित है कि-

"As far as possible, for the items permissible both under MGNREGS and FFC grants, the labour component should be met from MGNREGS and the material component from FFC grant. In Order to avoid Complications due to mixing of funds, it is suggested that such works may be done as two parts of same Project. For example, the formation of a road could be taken up under MGNREGS and its paving or black topping could be utilizing FFC grant."

http://shasnadeshup.nic.in

अत: उक्त के संबंध में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) अन्तर्गतकिए जाने वाले कार्यों के अभिसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14 वाँ वित्त आयोग एवं मनरेगा से संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायतों द्वारा विकसित की गयी कार्ययोजना में उक्त योजनाओं/अनुदान में अनुमन्य कार्यों का अभिसरण किया जाए एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) में सम्मिलित किया जाए।

2. इस प्रकार अभिसरित कार्य के अन्तर्गत मनरेगा की धनराशि से होने वाले व्यय/ तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को मनरेगा अन्तर्गत मनरेगा साफ्टवेयर एवं उसी प्रकार वित्त आयोग से होने वाले व्यय/तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को पंचायतीराज विभाग के साफ्टवेयर प्लान-प्लस/ एक्शन- साफ्ट/प्रिया-साफ्ट पर अंकित किया जायेगा।

3. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14वाँ वित्त आयोग एवं मनरेगा अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों के अभिसरण में मनरेगा अन्तर्गत लिए गए अभिसरित कार्य हेतु तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को मनरेगा एवं वित्त आयोग के अन्तर्गत लिए गए अभिसरित कार्य को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एंव 14 वाँ वित्त आयोग की मार्गनिर्देशिका के अनुरूप किया जायेगा।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(राहुल भटनागर)

मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक- तदेव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in